

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:- श्री दौलतराम चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना-पत्र संख्या - 95/2019

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थी:-
1. चिमनाराम पुत्र चोलाराम		1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि-धारक)
2. कानाराम पुत्र चोलाराम		सोजत, तहसील सोजत, जिला-पाली।
3. सुजाराम पुत्र चोलाराम		
4. श्रीमति चुन्नी देवी पत्नि चोलाराम जातियान सीरवी निवासी बेरा शिवसागर, खोखरा तह0 सोजत राज0।		


राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा एवं भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:-

1. श्री भुण्डाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

:- निर्णय :- दिनांक - 19.08.2020

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक विविध प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा खोखरा, तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान) के वर्तमान खसरा संख्या 175 पुराना 174 के खसरा संख्या 1441 रकबा 0.0400 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन होद, खसरा संख्या 1442 रकबा 0.1800 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन धोरा, खसरा संख्या 1467 रकबा 0.0200 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा संख्या 1468 रकबा 0.3000 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन आबादी कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.5400 हैक्टर की भूमि स्थित है। उक्त कृषि जोत की भूमि प्रार्थीगण के पति/पिता चोलाराम पुत्र बुद्धाराम जाति सीरवी निवासी खोखरा तहसील सोजत जिला पाली राज0 की स्थित है। प्रार्थीगण स्व0 चोलाराम का देहान्त दिनांक 04.07.2004 को हो चुका है। प्रार्थीगण स्व0 चोलाराम पुत्र बुद्धाराम के प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारी, वारिसान है। सैटलमेन्ट के दौरान खसरा परिवर्तनशील में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम चोलाराम पुत्र बुद्धाराम दर्ज था, तथा उसके बाद जमाबंदी सम्वत् 2043 से 2046 की जमाबंदी में भी प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम चौथाराम पुत्र बुद्धाराम दर्ज कर दिया है तथा आगे से आगे जमाबंदियों में भी प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम राजस्व रेकर्ड में चौला के स्थान पर चौथा दर्ज कर दिया है, जो एक मानवीय लिपिकीय भूल है। प्रार्थीगण के पिता/पति की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण के द्वारा अपने नाम से नामान्तरण भरवाने की कार्यवाही की जिस पर अन्य खसरा जोत की भूमि में प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम चोलाराम दर्ज था जिसके आधार पर नामान्तरण प्रार्थीगण के नाम भरा गया किन्तु उपरोक्त कृषि जोत की भूमि खसरा संख्या 1441, 1442, 1467, 1468 की भूमि में प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम चौथाराम पुत्र बुद्धाराम दर्ज होने से



उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जवा-पाली) राज

उपरोक्त कृषि जोत की भूमि में प्रार्थीगण के नाम से नामान्तरण नहीं हो सका जिसकी जानकारी प्रार्थीगण के नाम से नामान्तरण नहीं हो सका जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 23.09.2019 को राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की नकले लेने पर हुई है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में चौला के स्थान पर चौथा दर्ज हो जाने की उक्त त्रुटि की दुरुस्ती न्यायालय हाजा को प्राप्त है तथा प्रार्थीगण को अप्रार्थी द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में हुए त्रुटि शुद्धि करने हेतु न्यायालय हाजा में चाराजोही करावे। अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम खोखरा पटवार हल्का खोखरा तह0 सोजत में स्थित प्रार्थीगण के पिता/पति चोलाराम पुत्र बुद्धाराम के नाम से वक्त सेटलमेंट दर्ज खसराजोत की भूमि खसरा संख्या 1441, 1442, 1467, 1468 की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में चौथा वल्द बुद्धाराम के स्थान पर चोलाराम वल्द बुद्धाराम इन्द्राज किये जाने की ईशतदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने जबाब प्रा0 पत्र दिनांक 18.08.2020 को पेश कर प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित भूमि खसरा नम्बर 1441, 1442, 1487, 1468 में प्रार्थीगण के पिता का नाम चौथाराम पुत्र बुधाराम के स्थान पर चौलाराम पुत्र बुधाराम किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र, सेटलमेंट विभाग की खसरा परिवर्तन सम्वत् 2025 से 2028, जमाबन्दियों सम्वत् 2043 से 2046 व खसरा नम्बर 806, 821, 823, 820, व 819 सम्वत् 2025 से 2028 तक व प्रार्थी के पिता का परिचय पत्र की छाया प्रति पेश की है, सा0मि0 है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या 1441, 1442, 1467, 1468 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता / पति नाम चौथा वल्द बुद्धाराम के स्थान पर सही व वास्तविक रूप से चोलाराम वल्द बुद्धाराम दर्ज किये जाने की ईशतदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत को कोई आपत्ति नहीं होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात, जबाब प्रा0 पत्र अप्रार्थी तहसीलदार सोजत व साक्ष्य सबूतों दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः उक्त विवादित कृषि भूमि के पूर्व राजस्व रिकॉर्ड भू0 प्रबन्धन (सेटलमेंट) विभाग के खसरा मिलान में प्रार्थीगण के पिता/पति का सही व वास्तविक नाम चोला पि0 बुधा दर्ज सुदा है, किन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2043-46 तथा पश्चातवर्ती जमाबन्दियों में स्लीप


उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जला-वाली) राज

ऑफ पेन की वजह से चोला के स्थान पर चौथा दर्ज होना सदभाविक लिपिकीय त्रुटिवश होना बखूबी प्रमाणित है लिहाजा प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त विवादित सरहद मौजा-खोखरा, तह0 सोजत में स्थित कृषि भूमि के वर्तमान खसरा संख्या 1441, 1442, 1467, 1468 की भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से दर्ज नाम चौथा वल्द बुद्धा के स्थान पर वास्तविक व सही नाम चोलाराम वल्द बुद्धाराम दुरुस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते हैं।

—:आदेश:—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा—खोखरा, तह0 सोजत में स्थित कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या 1441, 1442, 1467, 1468 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का गलत रूप से दर्ज नाम चौथा वल्द बुद्धाराम के स्थान पर वास्तविक व सही नाम की संपुष्टि हो जाने से चोलाराम वल्द बुद्धाराम दुरुस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।



(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
मोजत (जिला-पाली) राज

निर्णय आज दिनांक 19.08.2020 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
मोजत (जिला-पाली) राज